डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

नूतन वर्षाभिनंदन

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-30/31, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

1/8 जनवरी 2025, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

2025 : नवा रायपुर, नया साल, नई सौगात

नवा रायपुर में नए साल की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ विकास और सांस्कृतिक समृद्धि का नया अध्याय लिखने जा रहा है। वर्ष 2025 में नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम और सीबीडी रेलवे स्टेशन आम जनता के लिए खुलने जा रहे हैं। म्यूजियम में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरक गाथाओं को सजीव किया जाएगा, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। वहीं, सीबीडी रेलवे स्टेशन नवा रायपुर को यातायात और व्यापार का नया केंद्र बनाकर आर्थिक प्रगति को गति देगा। ये दोनों परियोजनाएं छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत और उज्ज्वल भविष्य का संगम प्रस्तुत करती हैं।

सीबीडी रेलवे स्टेशन

- निर्माण और संचालन: सीबीडी स्मार्ट रेलवे नया रायपुर
- व्यावसायिक केंद्र: - स्टेशन के प्रथम तल पर बनेगा कामर्शियल हब। दो दर्जन से अधिक दुकानें स्थापित होंगी।
- सुविधाएं: - यात्रियों के लिए कैफेटेरिया।
- प्लेटफॉर्म पर एटीएम।
- लिफ्ट,पार्किंग और गार्डन।
- लाभ: - नवा रायपुर जाने वालों को सस्ता और तेज विकल्प।

शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम

- निर्माण संचालन: ट्रायबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
- संग्रहालय की विशेषताएं: आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित
- मुख्य आकर्षण: थ्रीडी प्रोजेक्शन मल्टीमीडिया गैलरी आदिवासी विद्रोहों से संबंधित हथियार, दस्तावेज, और कलाकृतियां लेजर तकनीक और आदिवासी समाज की संस्कृति संघर्ष का आर्टवर्क , स्कल्पचर

नवा रायपुर को और भी कई नई सौगात

- **फार्मास्युटिकल हब:** नवा रायपुर में 142 एकड़ जमीन आवंटित, छत्तीसगढ़ को मिलेगा स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहचान
- **मेडिसिटी:** नवा रायपुर में बनेगी 200 एकड़ में अत्याधुनिक मेडिसिटी
- **चित्रोत्पला फिल्म सिटी:** माना तुता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का 95.79 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण
- **पर्यावरण मंडल की केन्द्रीय प्रयोगशाला:** पर्यावरण संरक्षण मंडल की यह लैब नवा रायपुर में बनाई जा रही है।
- **साईंस सिटी:** भारत सरकार की SPOCS के तहत 232.73 करोड़ रुपए की परियोजना
- **एआई डाटा सेंटर:** नवा रायपुर में 14 एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है

नूतन कैलेण्डर वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

"यह नव वर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। सुशासन की सरकार प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं।"

श्री विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

प्रशासनिक कसावट और जनसेवा को प्राथमिकता

नए साल पर मुख्यमंत्री का निर्देश प्रशासनिक कामकाज में ढिलाई बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नए साल की शुरुआत मंत्रालय में सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक से की। इस बैठक में उन्होंने शासकीय कामकाज में कसावट लाने और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश दिया। आम जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्परता से काम करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, "प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को समय पर कार्यालय आकर अपने दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करना होगा। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमें एक टीम की तरह काम करना होगा।"

वर्ष 2025 का फोकस:
छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष। राज्य के विकास को गति देने के लिए विशेष अभियान।

निवेश और औद्योगिक नीति:
औद्योगिक नीति 2024-2030 को निवेशकों के लिए लाभकारी बनाना। निवेशकों के लिए सकारात्मक माहौल बनाए रखना।

- **लंबित फाइलों का त्वरित निपटारा:** लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।
- **ई-ऑफिस प्रणाली का सुचारू संचालन:** सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसकी नियमित निगरानी करने को कहा गया।
- **विभागीय समीक्षा:** प्रत्येक विभाग के सचिवों को अपने कार्यों की मासिक वर्चुअल समीक्षा और हर तीन महीने में भौतिक समीक्षा।
- **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया।
- **नशा और सड़क सुरक्षा:** नशे के अवैध कारोबार को रोकने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने की हिदायत।

सीएम के नेतृत्व में अब तक 11 बार मंत्रिपरिषद की बैठक

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में सरकार ने 14 दिसंबर 2023 से अब तक 11 बार कैबिनेट की बैठक आयोजित कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन बैठकों में जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और राज्य के विकास को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाए गए।

उपनगर विकास के लिए नियम सरल

नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। आवासीय उपयोग के लिए न्यूनतम 50% क्षेत्र आरक्षित किया गया है, जिससे किफायती आवास उपलब्ध होंगे। सामाजिक सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र न्यूनतम 5% किया गया है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रावधानों में सुधार के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य किया गया है।

मंत्रिपरिषद के मुख्य निर्णय

किसानों व राईस मिलों को मिली राहत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अनुशंसाएँ प्रस्तुत होंगी विधानसभा में

- बैठक में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। यह रिपोर्ट शासन की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को दर्शाती है।

धान परिवहन को मिली स्वीकृति

- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल के परिवहन की दरों को राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृति दी गई।

राईस मिलों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

- राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी करने का निर्णय लिया गया। इससे राईस मिल संचालकों को राहत मिलेगी और राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

"द साबरमती रिपोर्ट" हुई टैक्स फ्री

- "द साबरमती रिपोर्ट" को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। इसके अंतर्गत फिल्म के प्रदर्शन पर लगने वाले राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया गया है।

स्वास्थ्य क्रांति

नवा रायपुर में 142 एकड़ जमीन आवंटित, छत्तीसगढ़ को मिलेगा औद्योगिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहचान

छत्तीसगढ़ में बनेगा सेंट्रल इंडिया का पहला फार्मास्युटिकल हब

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में राज्य का पहला फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। यह पार्क छत्तीसगढ़ को फार्मास्युटिकल हब के रूप में स्थापित करेगा और चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। इस परियोजना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने सेक्टर 22 स्थित ग्राम तूता में 141.84 एकड़ भूमि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को आवंटित की है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा फार्मास्युटिकल पार्क
फार्मास्युटिकल पार्क में अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, और परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल होंगी।

औद्योगिक नीति में विशेष प्रोत्साहन

- फार्मास्युटिकल इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत कई रियायतें दी हैं। स्थायी पूंजी निवेश पर 100% तक प्रोत्साहन, 12 वर्षों तक बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट शामिल है।

50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के निवेश पर विशेष अनुदान

- 50 से 200 करोड़ रुपए 60 करोड़
- 200 से 500 करोड़ रुपए 150 करोड़
- 500 करोड़ रुपए से अधिक 300 करोड़

रिक्रूटमेंट नोटिस

आरआईटीईएस लिमिटेड
पदः असिस्टेंट इंजीनियर, लैब टेक्नीशियन व अन्य पद
पद संख्याः 67
अंतिम तिथिः 09 जनवरी, 2025
tinyurl.com

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
पदः कॉरेस्पोंडेंट सुपरवाइजर
पद संख्याः 62
अंतिम तिथिः 12 जनवरी 2025
centralbankofindia.co.in

NHSRC
पदः पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट समेत अन्य
पद संख्याः 17
अंतिम तिथिः 17 जनवरी 2025
nhsrcindia.org

ITBP
पदः हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल
पद संख्याः 51
अंतिम तिथिः 22 जनवरी 2025
recruitment.itbpolice.nic.in

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
पदः विभिन्न पद
पद संख्याः 2573
अंतिम तिथिः 23 जनवरी 2025
mponline.gov

राजस्थान लोक सेवा आयोग
पदः विभिन्न
पद संख्या : 575
अंतिम तिथिः 10 फरवरी 2025
rpsc.rajasthan.gov.in

रेलवे में ग्रुप-D की भर्ती
पदः विभिन्न
पद संख्याः 32,438
अंतिम तिथिः 22 फरवरी 2025
rrbcdg.gov.in

वर्ष-22, अंक-30/31, रायपुर

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : मोहन मिश्रा, विक्रांत

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

108 फीट ऊंचा गुंबद वाला प्रसिद्ध श्रीराम मंदिर रायपुर के वीआइपी रोड में 2017 में राजस्थान के पत्थरों से निर्माण किया गया है।

बस्तर को मिली 356.44 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात

आदिवासी युवाओं के लिए हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी शुरू

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर प्रवास के दौरान क्षेत्र को 356.44 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। धरमपुरा के पीजी कॉलेज हॉस्टल मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 288 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने घोषणा की कि आदिवासी युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की पढ़ाई का विकल्प जल्द उपलब्ध होगा।

सड़क और सिंचाई के क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जगदलपुर-चित्रकोट सड़क चौड़ीकरण के लिए 31.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। साथ ही, बोधघाट स्थित सिंचाई कॉलोनी, मंडी कॉलोनी और निर्मल कॉलोनी में सड़क और अन्य सुविधाओं के विकास पर 2.93 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

शिक्षा और सामाजिक विकास पर जोर

कंगोली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रीवेदमाता गायत्री महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने भी 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में यज्ञ में शामिल होकर पौधरोपण किया।

चित्रकोट में बाइपास का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री साय ने चित्रकोट में जगदलपुर बाइपास का लोकार्पण किया और विश्रामपुरी व तुरपुरा जलाशय में स्लूस वेस्टवियर और नहर लाइनिंग सहित अन्य परियोजनाओं का भूमिपूजन किया। इसके अलावा, फरसागुड़ा-पखनाकोंगेरा मार्ग पर पुल और अन्य सड़कों के निर्माण का भी लोकार्पण किया गया।

मेडिकल टूरिज्म में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी मेडिसिटी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म) के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में 200 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय मेडिसिटी विकसित करने की योजना बनाई है। परियोजना के तहत 5,000 बिस्तरों की स्वास्थ्य सुविधाओं, मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, छात्रावास, डायग्नोस्टिक सेंटर, धर्मशाला, होटल, और वाणिज्यिक केंद्रों का विकास किया जाएगा।

मेडिसिटी की स्थापना का उद्देश्य

मेडिसिटी परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों को एक ही स्थान पर उत्कृष्ट और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेशवासियों के लिए बल्कि निकटवर्ती राज्यों और देशों के नागरिकों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक प्रमुख केंद्र बनेगी।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की पहल

इस मेडिसिटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत करने की दिशा में भी काम कर रही है। एयरपोर्ट के समीप विकसित की जा रही यह परियोजना मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगी

नवा रायपुर के सेक्टर 37 में चिन्हांकित भूमि

अत्याधुनिक मेडिसिटी के लिए नवा रायपुर के सेक्टर 37 में भूमि चिन्हित की गई है। निजी निवेशकों के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की सूची में लाने का लक्ष्य रखता है।

पीएम मेडिसिटी योजना से जुड़ेगी परियोजना

राज्य शासन इस परियोजना को प्रधानमंत्री मेडिसिटी योजना से जोड़ने की योजना बना रहा है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) और केंद्र सरकार के उपक्रम इंफ्रांटेक सर्विसेस लिमिटेड के बीच प्रारंभिक बैठक भी हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ बनेगा चिकित्सा क्षेत्र का हब

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की इस पहल से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वर्णिम युग आरंभ होगा। यह परियोजना न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी बल्कि छत्तीसगढ़ को चिकित्सा और पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करेगी।

छत्तीसगढ़ सिविल जज भर्ती आवेदन 24 जनवरी तक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGP-SC) की ओर से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 है। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भर्ती 10 जनवरी तक करें आवेदन

इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड ने तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र में असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर (स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड) के पदों पर यह भर्ती की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तय की गई है। शैक्षणिक योग्यताः असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए बीई/बीटेक/ पोस्ट ग्रेजुएशन (कंप्यूटर साइंस / आईटी/ कंप्यूटर एप्लिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किसी एक विषय में) आईटीआई में तीन साल के उम्मीदवारों को प्रेफरेंस।

बैंक ऑफ बड़ौदा में 1267 पदों पर भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत 1200 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है। योग्यताः आवेदन पद के अनुसार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक होने चाहिए। इसके अलावा MBA / PGDM, CA/CFA/CMA की डिग्री होनी चाहिए। वहीं बीई और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।

सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 13 जनवरी तक

सैनिक स्कूल में कक्षा 6 वी एवं 9वीं में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन एनटीए की वेबसाईट exams.nta.ac.in 13 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु बालक एवं बालिका की आयु 31 मार्च 2025 की स्थिति में 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की आयु 31 मार्च 2025 की स्थिति में 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सामान्य,अन्य पिछड़ा वर्ग, रक्षा/भूतपूर्व सर्विसमेन से सम्बंधित आवेदकों को 800 शुल्क देय होगा।

साय सरकार के सुशासन का शुभारंभ

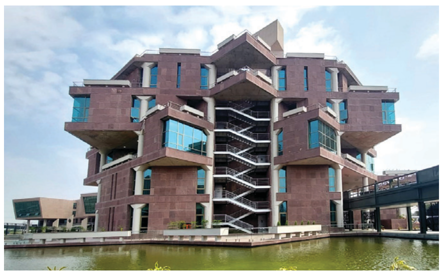

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी को भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्थाई परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जम्मू में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के साथ ही कुरुद और कवर्धा में केन्द्रीय विद्यालय के नए बने भवनों का भी लोकार्पण किया।

मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा का किया उद्घाटन

20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार द्वारा सरगुजा क्षेत्र को एक बड़ी सौगात है।

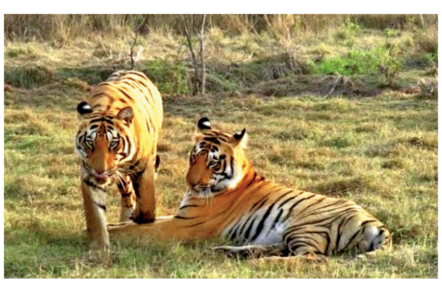

छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व

गुरूघासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस नए टाइगर रिजर्व की स्थापना के साथ, राज्य में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या चार हो गई है।

https:// एक क्लिक में 'सुशासन'

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में, डिजिटल प्लेटफार्मों का शुभारंभ हुआ है। इससे सरकारी कामकाज सरल, तेज, और अधिक पारदर्शी बना है। इन डिजिटल पहलों से न केवल प्रशासन में जबावदेही बढ़ रही है बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग भी तेज हुई है।

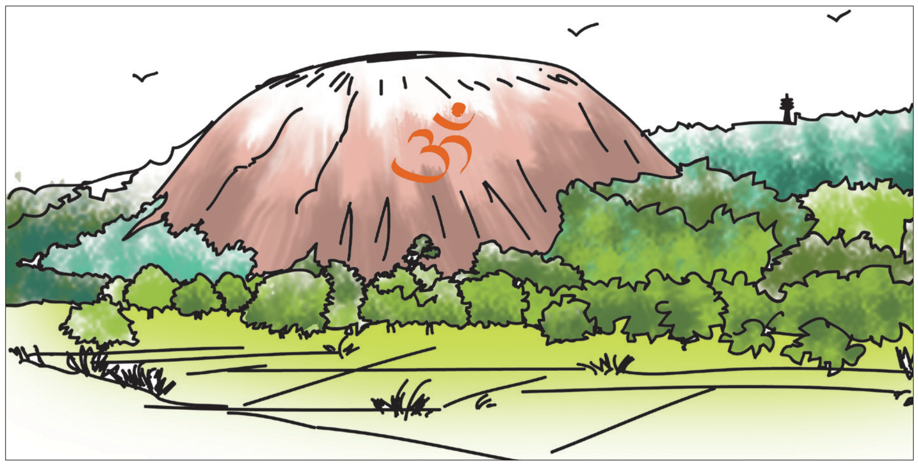

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे प्रदेश के पर्यटन की एक नई पहचान मिली है

महतारी वंदन योजना

महिलाओं का आर्थिक संबल

राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में इस योजना का शुभारंभ किया गया। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने एक हजार रुपए की राशि अंतरित की जाती है।

किसान उन्नति योजना

किसानों की समृद्धि का मार्ग

किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 12 मार्च 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया, इस योजना के अंतर्गत, किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत 3100 रुपए दी जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ धान की सबसे अधिक कीमत मिल रही है। इस योजना के माध्यम से 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है।

श्रद्धालुओं का धार्मिक सौभाग्य श्री रामलला दर्शन योजना

श्री रामलला दर्शन योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 5 मार्च 2024 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, और सरगुजा संभाग से श्रद्धालु निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया है और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म के माध्यम से यात्रियों के रहने और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस विशेष ट्रेन में एक बार में 850 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा का अवसर मिल रहा है।

श्री रमेन डेका ने 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली

श्री रमेन डेका ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति ने ली प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ

श्री इंदर सिंह उबोवेजा को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई।

हर नागरिक को ₹999 में हवाई सेवा

रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर 72-सीटर विमानों का हवाई सेवा का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद विमानतल से किया गया। इस सेवा का आरंभिक किराया 999 रुपये रखा गया है

छत्तीसगढ़ में बनेगी "चित्रोत्पला" फिल्म सिटी

छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर 147 करोड़ रुपए की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण की घोषणा की। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है।

विज्ञान और नवाचार का नया केंद्र साइंस सिटी

छत्तीसगढ़ में 232 करोड़ की लागत से देश की छठवीं साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। साइंस सिटी के निर्माण के लिए केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य 40 प्रतिशत फंड देगा।

160 करोड़ की 21 नालंदा परिसर का निर्माण

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 160 करोड़ रुपये की लागत से 21 नालंदा परिसरों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना प्रदेश के 14 नगरीय निकायों में लागू की जाएगी। इन परिसरों से राज्य के छोटे और मध्यम आकार के शहरों के छात्रों को उच्च स्तरीय अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सम्मानित छत्तीसगढ़

पर्यटन में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट टूरिज्म विलेज 2024 में पुरस्कार
- धुड़मारस – संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने इसे दुनिया के 60 देशों के 20 प्रमुख पर्यटन गांवों में शामिल किया है।
- चित्रकोट – सामुदायिक पर्यटन में उत्कृष्टता

पोषण माह में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन
- प्रत्येक आंगनबाड़ी में औसत गतिविधि आयोजन के आधार पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया
- 1 करोड़ 45 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित कर राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान हासिल किया

जल संरक्षण में रचा इतिहास राष्ट्रीय पुरस्कार से मिली पहचान
- कांकेर की ग्राम पंचायत मासुलपानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मिला द्वितीय पुरस्कार।
- 161 जल शेड संरचनाएं और 99 फार्म तालाब बने।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ की जीत
- चांपा नगर पालिका को सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय का द्वितीय पुरस्कार
- 4 अन्य को मिला 'स्पार्क 2023-24' पुरस्कार।

छत्तीसगढ़ की हरित ऊर्जा में एक नई पहचान
- सीबीडीए: जैव ईंधन और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार।

छत्तीसगढ़ को देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान
- स्वच्छता के लिए सम्मानित हुए 5 शहर रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग, पाटन को स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला।

जल संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़
- देश के शीर्ष 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिले शामिल
- 1,53,533 जल संरक्षण कार्य पूर्ण, 10,872 कार्य प्रगतिरत

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को "बेस्ट एचीवर अवॉर्ड" से नवाजा
- पुरस्कार सेरीकल्चर टूरिज्म, टसर कृमिपालन और टसर धागाकारक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए

खनिज संपदा में देश का गौरवः छत्तीसगढ़
- गैर-कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी में शानदार प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को मिला द्वितीय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार

मत्स्य पालन में राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम
- छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला को मिला "बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड"

खनिज प्रबंधन में देशभर में परचम
- 'खनिज ऑनलाइन पोर्टल' को मिला एक्सीलेंस अवार्ड।

हरदीभाटा को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

राष्ट्रपति के हाथों हरदीभाटा के सरपंच श्री मुनेन कुमार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ग्रहण किया। पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार कुल 9 विषयों के तहत दिया जाता है।

राम नाम से शुरू हुआ 2024 का हर काम

पीएम मोदी : लगातार तीसरे टर्म का रिकॉर्ड
2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। 9 जून को मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ। जून में श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू के बाद ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। 62 साल बाद ऐसा हुआ है।

राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने

कांग्रेस के राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने। राहुल ने करीब 20 साल के करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाला है। नवंबर में वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज कर प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनीं

महाराष्ट्रः भाजपा गठबंधन ने बड़ी जीत
नवंबर में हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 231 सीटें मिलीं। पहली बार किसी गठबंधन को इतनी सीटें मिलीं। देवेन्द्र फडणवीस सीएम बने।

हरियाणाः लगातार तीसरी बार सरकार का रिकॉर्ड विस चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। नायब सिंह सैनी सीएम बने। हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी।

झारखंडः सोरेन चौथी बार सीएम बनने वाले नेता
27 नवंबर को हेमंत सोरेन ने सीएम बनते ही दो रिकॉर्ड बनाए। राज्य में चौथी बार सीएम बनने वाले वे पहले नेता हैं। लगातार दूसरी बार सत्ता पाने वाले भी पहले सीएम हैं।

ओडिशा पटनायक 24 साल बाद सत्ता से बाहर
जून में ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। मोहन चरन माझी सीएम बने। 24 साल से सत्ता पर काबिज बीजेडी के नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता निकल गई।

जम्मू-कश्मीरः अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीतीं। उमर अब्दुल्ला सीएम बने।

आंध्र प्रदेशः जून में टीडीपी के एन. चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बने। उनकी जन सेना पार्टी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा व सभी जीतीं।

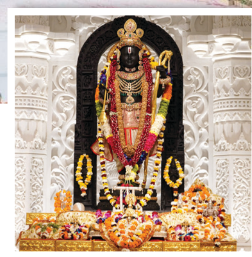

380 फीट मंदिर की लंबाई | 250 फीट मंदिर की चौड़ाई | 161 फीट मंदिर की ऊँचाई

राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा
2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में लंबे वक्त से चला आ रहा राम जन्मभूमि-बाबरी विवाद समाप्त हो गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया और 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी गई।

संसद के नए भवन का उद्घाटन

साल 2024 में भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ. यह आधुनिक और पारंपरिक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है. इस ऐतिहासिक इमारत को

भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का प्रतीक बताया गया. उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के नेताओं ने हिस्सा लिया.

उत्तराखंड में एनआरसी लागू करने की घोषणा
उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की घोषणा की. यह फैसला राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें रोकने के उद्देश्य से लिया गया. हालांकि, इस फैसले को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे राज्य की सुरक्षा के लिए सही कदम बताया, तो कुछ ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला कदम करार दिया.

असम में सार्वजनिक स्थानों पर बीफ पर प्रतिबंध
असम सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बीफ के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया. सरकार ने इसे धार्मिक भावनाओं की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का कदम बताया. हालांकि, इस फैसले पर विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

HIV का इंजेक्शन
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV की वैक्सीन खोजने का रिकॉर्ड भी साल 2024 के खाते में दर्ज है। इस इंजेक्शन को लेनकापाविर नाम दिया गया है। फेज 3 के ट्रायल के दौरान इसे 96 फीसदी तक इफेक्टिव पाया गया।

इसरो की ऐतिहासिक सफलताएं
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2024 में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं.
चंद्रयान-3: भारत ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया.
आदित्य एल-1: सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया यह मिशन इसरो की वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण है. इन मिशनों ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया.

इन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान
पहली बार एक साथ पांच शीर्ष हस्तियों को भारतरत्न

इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी सभी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ये हस्तियां हैं- पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर।

58 वां ज्ञानपीठ पुरस्कार
जगद्गुरु रामभद्राचार्य गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार

संस्कृत के विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार में ग्यारह लाख रुपए, प्रशस्ति-पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इस बार पुरस्कार दो भाषाओं के विद्वानों को दिया जा रहा है। संस्कृत को दूसरी और उर्दू को पांचवीं बार यह सम्मान दिया जा रहा है।

9 साल की श्रेयावी की तस्वीर पुरस्कृत
भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मोरनी के एक जोड़े की यह तस्वीर 9 साल की श्रेयोवी मेहता ने खींची। श्रेयोवी को 60वीं बीबीसी वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम' श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया।

दुर्लभ ब्लैक टाइगर कैमरे में कैद
ओडिशा में सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व दुनिया का एकमात्र स्थान है, जहां काले बाघ पाए जाते हैं। ये ब्लैक टाइगर बहुत ही शर्मीले होते हैं और कम ही नजर आते हैं। फोटोग्राफर प्रसन्नजीत यादव ने काले बाघ का यह फोटो कैप्चर किया है।

खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन
2024 के एशियाई खेलों और ओलंपिक क्वालिफिकेशन में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.मीराबाई चानू और पीवी सिंधु ने भी अपनी उपलब्धियों से देश को गर्व महसूस कराया. भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया.

1 दिन में 200 पर्वतारोहियों में लगी होड़
21 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाम लग गया। 200 पर्वतारोही 8,790 मीटर ऊंचे साउथ समिट और हिलेरी स्टेप पर थे। एवरेस्ट यहां से 200 फीट दूर है।

यादों में रहेंगी ये हस्तियां: जिनकी कमी हमेशा महसूस होगी

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह का 2024 में निधन हो गया. उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर थी. डॉ. सिंह के कार्यकाल में किए गए आर्थिक सुधार और उनके शांतिपूर्ण व्यक्तित्व को याद करते हुए देश ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

उस्ताद राशिद खान
09 जनवरी को प्रसिद्ध गायक और पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद राशिद खान का निधन 55 साल की उम्र में हुआ। उन्हें कैंसर था।

मुनव्वर राना
14 जनवरी को मशहूर शायर मुनव्वर राना 71 वर्ष का लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

आचार्य विद्यासागर
18 फरवरी को जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी का महाप्रयाण हुआ। उन्हें देह त्याग का आभास था, इसलिए 3 दिन से अन्न और जल त्याग दिया था।

अमीन सयानी
20 फरवरी को रेडियो अनाउंसर सयानी का निधन हुआ 'बिनाका गीत माला' में आवाज के इस शहंशाह ने अपने नाम और काम की धूम मचा दी थी

पंकज उधास
26 फरवरी को मशहूर गजल गायक का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। चिट्ठी आई है उनका सबसे पॉपुलर गीत रहा।

रामोजी राव
08 जून को रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक पद्म विभूषण चेरुकुरी रामोजी राव का हैदराबाद में 87 साल की उम्र में निधन हो गया।

उस्ताद जाकिर हुसैन
16 दिसंबर को महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। इसी साल उन्होंने तीन ग्रैमी अवॉर्ड जीते थे।

ओपी चौटाला
हरियाणा के पांच बार मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला का 20 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे 89 साल के थे।

श्याम बेनेगल
फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर को 90 की उम्र में निधन हो गया। वे किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे।

'रतन टाटा' का निधन

09 अक्टूबर को रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन। वे देश में नैतिकता, ईमानदारी और परोपकार का सबसे गरिमापूर्ण चेहरा थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह का नेतृत्व किया।

कार्यालय अधिष्ठाता

स्व.श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) 494334

E-mail id-gmekanker@gmail.com

क्र./2653 / शाचिम / स्थापना / 2024 कांकेर, दिनांक 23 12/2024

//Walk in Interview//

स्व.श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.) में प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ट्यूटर/प्रदर्शक, सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट के वर्तमान में रिक्त पदों के साथ समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में उल्लेखित शर्तों के अधीन संविदा भर्ती किया जाना है. इस हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय-कांकेर (छ.ग.) में विज्ञापन प्रकाशन तिथि से प्रत्येक कार्य दिवस में "वॉक-इन-इन्टरव्यू" आयोजित किया जाता है।

प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, स्टेटिशियन, ट्यूटर / प्रदर्शक, सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट के विज्ञापन जारी होने के दिनांक की स्थिति में वर्गवार (अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) रोस्टर निम्नानुसार है:-

क्र	विभाग	प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	सीनियर रेसीडेंट / प्रदर्शक (पीजी)	प्रदर्शक / ट्यूटर (नॉन पीजी)	जूनियर रेसीडेंट (नॉन पीजी)
1	Anatomy	1-UR	1-UR	-	-	-	-
2	Physiology	1-ST (F)	1-UR (F)	1-UR (PH)	-	1-ST (F)	-
3	Biochemistry	1-SC	1-SC	2-UR	-	-	-
4	Pharmacology	1-UR (F)	1-UR (PH)	-	-	-	-
5	Pathology	1-OBC	1-OBC 1-ST(F)	1-SC 1-UR(F) 1-OBC(F)	-	1-ST 1-UR	-
6	Microbiology	1-UR (PH)	1-UR	1-SC	-	1-UR (PH) 1-ST	-
7	Forensic Medicine	1-UR	1-SC	-	-	1-ST	-
8	Community Medicine	-	2-UR	1-UR 1-OBC 1-ST	-	2-ST	-
9	General Medicine	1-OBC 1-UR	1-UR (PH)	1-UR 1-UR (F) 1-ST	2-UR 1-OBC 1-ST	-	-
10	Respiratory Medicine	1-ST (F)	1-UR (F)	-	1-UR (F)	-	1-ST 1-UR (F)
11	Dermatology	1-UR	1-UR	-	1-ST	-	-
12	Psychiatry	1-SC	-	1-ST (F)	1-ST (F)	-	1-UR (PH) 1-SC
13	Pediatrics	-	1-UR (F) 1-UR (F)	1-UR-F	UR-F (1) SC-F (1)	-	-
14	General Surgery	1-ST 1-SC	2-ST 1-UR	1-OBC 1-ST 1-UR (PH)	2-UR 1-OBC 1-SC 1-ST	-	1-UR(PH) 3-UR
15	Orthopedics	1-ST	1-UR 1-ST	1-ST	1-ST 1-OBC	-	1-ST 1-UR
16	Opthalmology	1-UR	-	1-OBC	1-UR (F)	-	-
17	ENT	UR (F)	1-SC	1-UR (F)	2-UR (F)	-	1-ST
18	Obstetrics & Gynecology	1-ST	1-OBC	1-ST	1-UR(PH) 1-ST 1-SC	-	1-UR
19	Anesthesia	1-OBC	1-UR 1-OBC	2-SC 1-OBC 1-UR	1-OBC 1-ST 1-UR	-	1-UR
20	Radiodiagnosis	-	1-ST (F)	1-UR (F)	1-UR (F) 1-UR (PH) 1-OBC (F)	-	-
21	Radiotherapy	1-UR (F)	1-OBC (F)	1-ST (F)	1-ST (F)	-	1-UR (F)
22	Emergency Medicine	1-ST	1-ST	1-SC	3-UR 1-UR(PH) 1-0BC 1-SC 3-ST	-	2-UR
23	Statistician	-	-	1-SC (F)	-	-	-

क्रमशः

उपरोक्त पदो के एकमुश्त मासिक संविदा वेतन की जानकारी :-

क्रमांक	पदनाम	एकमुश्त मासिक संविदा वेतन
01	Professor	Rs. 2,25,000/-
02	Associate Professor	Rs. 1,85,000/-
03	Assistant Professor	Rs. 1,25,000/-
04	Senior Resident/Demonstrator (PG)	Rs. 95,000/-
05	Tutor/Demonstrator & Junior Resident	Rs. 65,000/-

आवश्यक दिशा निर्देश :-

01. उपरोक्त पदो के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आर्हता तथा आयु राष्ट्रीय आयुविज्ञान आयोग (एनएमसी) के प्रचलित नवीनतम मापदण्ड अनुसार लागू होगें।
02. उपरोक्त पदों के कंडिका में दर्शित समेकित संविदा वेतन प्रतिमाह है, जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित संविदा वेतन व स्थापना अनुदान मद से देय मानदेय सम्मिलित है जिस पर शासकीय नियमानुसार TDS तथा अन्य कटौती किये जायेगे।
03. उपरोक्त पदों पर संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि अथवा इन पदो पर नियुक्ति / तदर्थ नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिये लागू होगा। जो छत्तीसगढ़ शासन संविदा भर्ती नियम 2012 के अंतर्गत शसित होगें एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी आरक्षण नियमो का पालन किया जावेगा तथा संविदा अवधि कार्य प्रतिवेदन के आधार पर बढ़यी जा सकेगी।
04. सेंवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक भी नियमानुसार पात्र होगे।
05. साक्षात्कार के लिये अभ्यार्थी निर्धारित आवेदन प्रपात्र पासपोर्ट साइज दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की स्व-सत्सयापित छायाप्रति तथा दस्तावेजो के सत्यापन हेतु मूल प्रति सहित निर्धारित स्थान स्व. श्रीमति इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नांदनमारा कांकेर (छ.ग.) पर उपस्थिति दर्ज करें।
06. साक्षात्कार के समय शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यार्थी अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यार्थी अपात्र माने जायेगे। राष्ट्रीय आयुविज्ञान आयोग (एनएमसी) / छत्तीसगढ़ आयुविज्ञान परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
07. उपरोक्त आवेदन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmckanker.in पर भी उपलब्ध है।
08. पदो की संख्या परिवर्तनीय है आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
09. संविदा भर्ती के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय सर्वमान्य अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
10. उक्त विज्ञापन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा समय समय पर पारित आदेशो एवं शासन / प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो के अधीन रहेगा।
11. अभ्यार्थी अपना निर्धारित प्रारूप मे पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र चेक लिस्ट के अनुसार संबंधित दस्तावेज के साथ स्वयं उपस्थित होकर स्कूटनी समिति से स्कूटनी करवाकर साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते है।
12. स्कूटनी तथा साक्षात्कार प्रातः 11:00 बजे से प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में स्व. श्रीमति इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नांदनमारा कांकेर (छ.ग.) में होगा।

अधिष्ठाता,
स्व. श्रीमति इंदिरा गाधी स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
नांदनमारा कांकेर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

अधिष्ठाता,
स्व. श्रीमति इंदिरा गाधी स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
नांदनमारा कांकेर (छ.ग.)

आवेदक अपना पासपोर्ट साइज फोटो स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित

आवेदित पद का नाम :--------------------------------
आवेदित विषय / विभाग :-------------------------------
विज्ञापन कमांक व दिनांक :-------------------------------
(एक से अधिक पद हेतु अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करें)

1. आवेदक का पूरा नाम :-----------------------------
2. पिता/पति का नाम :-----------------------------
3. जन्मतिथि :----------------------------
4. विज्ञापन दिनांक को आयु :----------------------------
5. लिंग (महिला/पुरूष) :----------------------------
6. श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित) :----------------------------
7. शैक्षणिक योग्यता :---------------------------
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण (एम.बी.बी.एस. कोर्स की सभी अंकसूची)

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विश्वविद्यालय/संस्था का नाम	प्राप्तांकों का प्रतिशत

9. अनुभव (संबंधित विषय मे कार्यानुभव संलग्न करें) :------------------------
10. अतिरिक्त योग्यता :----------------------
11 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशन : :----------------------
12. वर्तमान में कार्यरत हो उस संस्था : :----------------------
का उल्लेख करे
(वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करे)
13. पत्र व्यवहार का पता :----------------------
:----------------------
:----------------------
14. टेली फोन नंबर / मोबाइल नंबरः :----------------------
15. पूर्ण स्थायी पता : :----------------------
:----------------------
:----------------------
16. इमेल आईडी : :----------------------
17- संलग्न किये गये सत्याापित प्रमाण पत्रो की सूची चेक लिस्ट अनुसार :-
1.------------------------------2------------------------------
3.------------------------------4------------------------------
5.------------------------------6------------------------------
7.------------------------------8------------------------------
9.------------------------------10------------------------------

आवेदक के हस्ताक्षर--------
आवेदक का पूर्ण नाम-------

घोषणा पत्र

मैं ------------------------घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य अथवा कूटरचित पाये जाने की दशा मे मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन उपरांत किसी भी स्तर पर मेरी नियुक्ति बिना सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

दिनांक-----------
समय------------

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूर्ण नाम

आर.ओ.219/जी-242504866.5

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लाक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email: dirwcd.cg@nic.in

क्र./11804/मबावि/2024-25 नया रायपुर, दिनांक 23/12/2024

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र के राज्य स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु एक अम्ब्रेला योजना 'मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी आने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State Hub for Empowerment of Women) स्थापित है। राज्य स्तरीय महिला संसाधन केन्द्र के 02 पदों पर एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 23.12.2024 से 24.01.2025 तक आवेदन आमंत्रित है। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है-

क्र	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया	अधिकतम आयु
		UR	ST	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जेण्डर विशेषज्ञ	0	01	01	10	31450/-	सीधी भर्ती-एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन	45 वर्ष
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	01	01	09	27740/-		45 वर्ष

* छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट के आलोक में अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आवेदन प्रपत्र तथा पद क्रमांक 1 एवं 2 तक के पदों पर चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं, चयन हेतु आर्हता, मापदंड एवं अन्य शर्तें, आयु सीमा, अनुभव, कार्य दायित्व, चयन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण - www.cgstate.gov.in and www.cgwcd.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है :-

विज्ञापन में दिये प्रारूप अनुसार टंकित कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र डाक/कूरियर द्वारा दिनांक 24.01.2025 की संध्या 5:00 बजे तक आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल नया रायपुर 492002 को पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कूरियर के माध्यम से ही प्रेषित किये जावे।

राज्य महिला सशक्तिकरण केन्द्र (State HUB for Empowerment of Women) के पदों पर चयन हेतु योग्यता, वेतन भत्ते सुविधाएं, आर्हताएं एवं अन्य नियम व शर्ते :-

1. विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	पदनाम	पद संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन (प्रतिमाह)	चयन प्रक्रिया
		UR	ST	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
	जेण्डर विशेषज्ञ	0	01	01	10	31450/-	सीधी भर्ती-एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	0	01	01	09	27740/-	

2. इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव का विवरण :-

क्र	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अनिवार्य कौशल योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ए. समाज शास्त्र, एम.एस.डब्ल्यू. एम.बी.ए. रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री)	कम्प्यूटर का ज्ञान, जिसमें एम. एस.ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग (हिंदी/अंग्रेजी) में कार्य करने की क्षमता	जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/ अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 02 वर्ष का जेण्डर केन्द्रित विषय पर कार्यानुभव	अंग्रेजी भाषा का ज्ञान।
2	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री	कम्प्यूटर का ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस /एस.पी. एस.एस. सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता	महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय / अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव	स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट / पेपर प्रकाशन।

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

उपरोक्त उल्लेखित योग्यता ना रखने वाले उम्मीद्वार आवेदन ना करें।

3. **वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण -**

यह पद भारत शासन की मिशन शक्ति अंतर्गत योजना के पद हैं, भारत शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार एवं दी जा रही वित्तीय सहायता अवधि तक ही तथा निर्धारित संविदा (एकमुश्त) वेतन पर होंगे।

पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण उपरोक्तानुसार विज्ञापन में कॉलम क्रमांक 7 पर उल्लेखित एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के उपरांत नियुक्त कर्मचारी को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता एवं मृत्यु लाभ इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

इन कर्मियों को अवकाश सुविधा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय-समय पर) अनुसार ही देय होगी।

4. **आयु सीमा :-**

आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में की जाएगी।

जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01. 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं, 10वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज़ सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

5. **नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ निवासी संबंधी मापदंड :-**

जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।

6. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज़ स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
10. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
11. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (आयुक्त / संचालक) का निर्णय ही अंतिम होगा।
12. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
13. शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता / कार्यालय प्रमुख के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन

क्रमशः

पत्र विचारणीय नहीं होगा। लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

14. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीद्वारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
15. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
16. आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीद्वारों समाप्त की जा सकेगी।
17. उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
18. कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
19. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

20. नियुक्ति की अवधि :-

इन समस्त पदों पर प्रथम बार में नियुक्ति संविदा/ एकमुश्त वेतन पर 02 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। तत्पश्चात् योजना संचालन की निरंतरता, कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि 01 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का निर्णय आयुक्त/ संचालक द्वारा लिया जाएगा। अन्यथा संविदा सेवा की अवधि की समाप्ति पर एवं न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त माना जायेगा।

चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही कोई स्वत्वों का भुगतान किया जाएगा।

21. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	चयन प्रक्रिया
1.जेंडर विशेषज्ञ	• सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री • जेण्डर से संबंधित कार्यों का शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठनों में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव	1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक । 2. न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 18 अंक ।
2.अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ	• सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री • महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय / अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव	3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे। 4. उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी। 5. वॉक इन इन्टरव्यू /कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे। 6. अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

22. समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार तालिका के चयन प्रक्रिया कॉलम के उप कंडिका 1, 2, 3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 में वॉक-इन-इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के संबंध में संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
23. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ स्वप्रमाणित / सत्यापित वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
24. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को, कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
25. आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा दिनांक 24.01.2025 की संध्या 5:00 बजे तक आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल नया रायपुर 492002 (छ०ग०) को प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। **(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)**

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास नवा रायपुर
अटल नगर, (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

----

1. आवेदित पद का नाम ------------------------
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ------------------------
   (अंग्रेजी में) ------------------------
3. पिता/पति का नाम ------------------------
4. स्थायी पता ------------------------
5. (पत्र व्यवहार का पता) ------------------------
   ------दूरभाष / मोबाईल-----
6. जन्मतिथि (अंकों में) ------------------------
   (शब्दों में) ------------------------
7. दिनांक 01/01/2025 को आयु ---वर्ष----माह----दिन---
8. लिंग पुरुष/महिला ------------------------
9. जाति/वर्ग (अ.आ./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)जाति-----वर्ग-------
10. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन जिसमें सेवारत है ? ------------------------
11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्तता ------------------------
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या ------------------------
13. शैक्षणिक योग्यता-(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
14. अन्य योग्यता का विवरण :---------------------------

क्रं	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	पद छोड़ने का कारण
1	2	3	4

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची (सभी संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित रहें) -
1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र 2. 12वीं की अंकसूची 3. स्नातक की अंकसूची 4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर) 5. व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर) 6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण-पत्र

17. **अन्य संलग्नकों का विवरण**

1.----------2-----------3--------4--------5----------6-------------

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान------------ आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक-----------

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail:-wcd-raigarh@cg.gov.in

क्र. 73522/मबावि/सावि/2024-25 रायगढ़, दिनांक 26/12/2024

(द्वितीय विज्ञापन)

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यकम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले मे संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। प्राप्त स्वीकृति उपरांत जिले में रिक्त 02 संविदा पदों हेतु आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 28/01/2025 है, विज्ञापित पद निम्नानुसार हैः-

क्र	पदनाम	स्वीक्त पदों की संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		UR	ST	योग		
1	जेन्डर विशेषज्ञ	0	01	01	8	25780
2	कार्यालय सहायक	01	0	01	6	18420

चयन हेतु आवश्यक शर्तेः-

01. आयु सीमा-

1. जेण्डर विशेषज्ञ पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध मे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नही होगी।
2. कार्यालय सहायक पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटो को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
4. जेण्डर विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
5. कार्यालय सहायक पद पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
6. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
10. केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा ।
11. अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे। अतः नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।
12. उपरोक्त पदों हेतु न्यून्तम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।
13. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पश्चात का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य की जावेगी ।
14. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
15. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप मे मान्य नहीं किया जावेगा।
16. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
18. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन के साथ स्वयं का लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें ।
19. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
20. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इन्टरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रकिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी । केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही कलेक्टर के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यून्तम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी ।
21. आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2025 तक कार्यालयीन समय 05:00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रायगढ़ (छ.ग.) पिन 496001 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डॉक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों ही स्वीकार किये जावेंगे।

आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक ।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।

उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।

कौशल / लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे।

अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं छ.ग. के मूल निवासी मे प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची अनुसार 01 पद के पीछे 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी ।

- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित मे संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।
- कौशल / लिखित परीक्षा/वॉक-इन-इन्टरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नही होगा ।

चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तेः

भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन

क्रमशः

हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडो को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया हैः-

जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभवः-

क्रमांक	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग मे कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्य का शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दो का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा में • कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव ।
2	कार्यालय सहायक	लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक / डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें एम.एस. आफिस एवं कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य मे कार्य करने की क्षमता	• लेखा संबंधित कार्यों का शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं मे कम से कम 03 वर्षो का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर में कार्य करने का अनुभव।

नियुक्ति की अवधिः-

1. इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा / एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
2. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
3. इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्य कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
4. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगें तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे ।
5. चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड रायगढ में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी ।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम
महिला एवं बाल विकास जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एंव बाल विकास
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित फोटो चस्पा करें ।

1. आवेदित पद का नाम --------------------------
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) --------------------------
   (अंग्रेजी में) --------------------------
3. पिता/पति का नाम --------------------------
4. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) --------------------------
5. स्थायी पता --------------------------
   ----
6. राष्ट्रीयता --------------------------
7. जन्म तिथि (अंको में) --------------------------
   (शब्दो में) --------------------------
8. आयु (दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में) वर्ष-----माह-----दिन-------
   (पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
9. लिंग पुरूष/महिला
10. जाति/वर्ग (अना./अजा/अजजा /अपिव.) जाति------वर्ग-----------
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता
12. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या
13. शैक्षणिक योग्यताः-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	शिक्षा मण्डल/ वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता --------------------------

क्र.	कार्यालय/ संस्था का नाम	कार्य का प्रकार	अवधि

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक------------------------
17. रोजगार कार्यालय का नाम ----------------------------------
18. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न करें --------------------
19. निवास प्रमाण पत्र (छ.ग. का निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न करें।
20. आवेदित पद हेतु अर्हताएं संबंधी अन्य उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं से सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे।
21. अनिवार्य संलग्नकों की सूचीः-
    1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र
    2. 12 वीं की अंकसूची।
    3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र।
    4. मूल निवास प्रमाण पत्र।
    5. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
    6. पहचान पत्र/आधार कार्ड/ वोटर आईडी इत्यादि।
    7. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू. का डाक टिकट सहित।
22. अन्य संलग्नों का विवरण :-
    1.------------------------------
    2.------------------------------
    3.------------------------------
    6.------------------------------
    4.------------------------------
    5.------------------------------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

- घोषणा पत्र :-

मैं घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमे दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिऐ मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

स्थानर-----------
दिनांक----------

(आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)
पूरा नाम एवं पता------------------
मोबाईल नम्बर--------------------
ईमेलआईडी----------------------

आर.ओ.220/जी-242504914.4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा/दिनांक 23/12/2024

::विज्ञापन::

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26/12/2024 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/01/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26/12/2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/01/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 25/01/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/01/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/01/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/01/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास में सुधार कर "नहीं" का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास/मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थानीय निवास/मूल निवास में "हां" के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **विधि और विधायी कार्य विभाग** के अंतर्गत **व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)**	**24**	**7**	**18**	**8**	**7**	**2**	**5**	**2**	**2** (LV/B/HH(Excluding Deaf)/ Locomotor Disabilities/LC/Dw/AAV/ MD/CP/Autism and Multiple Disabilities)	**57**	77840-136520 (Level-J-1)
Abbreviation Used: (LV-Low Vision, B-Blindness, HH-Hard of Hearing, LC-Leprosy Cured, Dw-Dwarfism, AAV-Acid Attack Victims, MD-Muscular Dystrophy, CP-Cerebral Palsy												

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्च्तम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

क्रमशः

2. यह विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (LV/B/HH(Excluding Deaf)/Locomotor Disabilities/LC/Dw/AAV/MD/CP/Autism and Multiple Disabilities) ही मान्य होंगे।
4. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम Appendix-'A','B','C' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी Appendix-'D' में उल्लेखित है।
5. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्ति अन्य राज्य के अभ्य र्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) सेवा की शर्तेः-

(i) सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 यथा संशोधित द्वारा शासित होगा।

(ii) व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के अधीन होगा।

(iii) निम्नातर न्या यिक सेवा का कोई भी सदस्य , जिन्हें‍न उच्चि न्याययालय द्वारा अन्यि विभाग/राज्यत में नियोजन के लिये अनुमति दिया जाता है/अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया जाता है/ जिनके आवेदन को अग्रेषित किया जाता है, इस आशय का एक बॉन्ड प्रस्तु त करेगा कि उसके अंतिम चयन एवं सेवा से उसके पद त्या ग की दशा में, वह, तीन माह की पूर्व सूचना या ऐसे पद त्यािग के समय उसके बदले में तीन माह का वेतन देगा।

(iv) चयनित उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्यः-

(i) पद का नामः- व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)

(ii) सेवा श्रेणीः- राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)

(iii) वेतनमानः- 77840-136520 (Level-J-1)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएंः-

(अ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि।

(ब) अधिवक्ताप अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) के तहत् एक अधिवक्तो के रूप में नामांकित हो।

(4) परिवीक्षा अवधिः- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) निर्धारित आयु सीमाः- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित) के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट होगी

(6) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(7) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) अस्थिबाधित निःशक्तजन के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को "अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) जाति प्रमाण पत्रः-

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाआनीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/ शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्का्र की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) विज्ञापन की कंडिका - 5(i) एवं 5(iii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(8) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(9) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/ वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

क्रमशः

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,
परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-
(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
(10) अनर्हताः-
(A) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-
(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए। परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)
(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(B) छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-
(i) किसी मान्यिता प्राप्तव विश्वतविद्यालय से विधि में उपाधि धारण नहीं करता हो तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) के तहत् एक अधिवक्ताप के रूप में नामांकित न हो,
(ii) अच्छे चरित्र का न हो तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ न हो तथा ऐसी कोई निर्योग्यता से मुक्त न हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाता हो,
(iii) किसी उच्च न्यायालय, सरकार, शासकीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो,
(iv) किसी नैतिक अनाचार के अपराध में शामिल रहने के लिये दोषसिद्ध हो या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य सेवा आयोग या किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित या निरर्हित कर दिया गया हो,
(v) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या तत्समय प्रवृत्तर किसी अन्य विधि के अधीन व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाया गया हो।
(vi) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी प्रयास में भाग लेने पर परीक्षा में प्रवेश या सेवा में चयन के लिए उसकी निरर्हता माना जा सकेगा।
(11) पहचान चिन्हः-
प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द/वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइण्ट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के उक्तस परीक्षा के कुल प्राप्तांक में से 05 अंक की कटौती की जाएगी अथवा उक्तर उत्तलर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उक्ते संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
टीप- यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कहीं पर भी नाम लिखने की आवश्यकता हो तो अ,ब,स (A,B,C) लिखे तथा यदि कहीं शहर, कस्बे, ग्राम या स्थान का नाम लिखने की आवश्यकता हो तो क,ख,ग (X,Y,Z) लिखे, जो पहचान चिन्ह के श्रेणी में नहीं आएंगे।
(12) चयन प्रक्रियाः- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।
(i) उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।
(ii) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
(iii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम Appendix-'A','B','C' में दिया गया है।

(13) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(14) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।
(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के स्थाधनीय/मूल निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाता है तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ स्थासनीय/मूल निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाता है तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।
(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।
(15 परीक्षा के संबंध मेंः- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)
(i) प्रत्येकक प्रश्ने का निर्धारित जगह पर उत्तार अपेक्षित है। उत्त र के स्थापन परिवर्तन होने पर उत्तेर का मूल्यांउकन नहीं किया जाएगा।
(ii) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
(iii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को रजिस्टर्ड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।
(16) अत्यन्त महत्वपूर्णः-
(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।
(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है।
(iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-पांच, छः, सात व आठ के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेगा। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे।
(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। परिशिष्ट पांच से आठ तक उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती

क्रमशः

है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।

(17)आयोग, उनकी दक्षता के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करेगा जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम रूप से दिये गये कुल अंक दर्शित होंगे। परंतु यह कि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कुल बराबर अंक अभिप्राप्त करने पर, अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम, ऊपर रखा जाएगा। परंतु यह और कि यदि कुल समान अंक अभिप्राप्त करने वाले समान आयु के दो या दो से अधिक अभ्यर्थी हों तो, अभ्यर्थी, जिसने लिखित परीक्षा में अधिक अंक अभिप्राप्त किया हो, का नाम ऊपर रखा जाएगा।

(18)यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम/मांग-पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। सेवा की शर्ते छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 2006 यथा संशोधित के अनुसार चयन प्रक्रिया की जाएगी, जो नियम उक्त (छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 2006) भर्ती नियम में उल्लेख नहीं है वह आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।

(19)**यात्रा व्यय का भुगतानः-**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना हैः-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः-आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिले को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(20) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(21) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत् अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(22) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(23) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(24) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन(Interp re-tation):- इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-5

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी ....के पुत्र/पुत्री, आयु .... वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति .... (उम्मीदवार का नाम) जो ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है .... और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ....तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक, एमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी---------------अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः-------

दिनांकः---------

परिशिष्ट-5

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी .... के पुत्र/पुत्री, आयु .... वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति ....(उम्मीदवार का नाम) जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है .... और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और .... तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक, एमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी---------------अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थानः---------------

दिनांकः---------------

परिशिष्ट-6

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो .... (राज्य का नाम) के................(जिले) में .... (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि .... (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थानः---------

दिनांकः--------

परिशिष्ट-6

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं ....(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो ....(राज्य का

क्रमशः

नाम) के........... (जिले) में ....(परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से .... (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि ....(लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता .... है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थानः--------

दिनांकः--------

परिशिष्ट-7

प्रपत्र-3

प्रति,

कलेक्टर,

जिला -----------------------------

विषयः-आयोग द्वारा आयोजित ------------------- परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं ---------- पिता श्री -----आयोग द्वारा आयोजित ----परीक्षा दिनांक --------- में सम्मिलित हो रहा/रही हूं। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (------ प्रतिशत) अभ्यर्थी हूं।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूं।

अतः मैं श्री/सुश्री ------पिता श्री -----को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूं/चाहती हूं।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री ------- पिता श्री ------------ को सह लेखक के रूप में मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ---------------------------------

अभ्यर्थी का नाम -----------------अभ्यर्थी का ई-मेल ---------

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर ----------------------------------

परिशिष्ट-8

प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर

सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम .... वर्ष...
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन) ....
3. परीक्षा का दिन व समय ....
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम ....
5. अभ्यर्थी का नाम ....
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक ....
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम ....
8. सह लेखक का नाम ....
9. सह लेखक के पिता का नाम ....
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ....

स्व-घोषणा पत्र

मैं .... निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री ....को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूं। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता .... है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दश उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरूद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/ अगुंठे का निशान	केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व केंद्र की सील

Appendix - 'A'

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024

Examinations Scheme

The Examination shall be conducted by the CGPSC in three parts for the aforesaid post. In the first part Preliminary Examination shall be conducted to restrict the number of candidates to the reasonable limit for the Main Examination.

Scheme and syllabus for the Preliminary Examination & Main Examination has been published in the advertisement under Appendix 'B' and Appendix 'C'. Information regarding Date & Time of Main Examination will be published later on.

Scheme of Preliminary Examination:-

(1) Question paper for Preliminary Examination shall be of 100 marks and will consist of 100 objective type questions. Each question will have four options for answer, out of which one option will be the correct answer.

(2) Candidates shall have to tick the correct option.

(3) The language of question paper of Preliminary Examination and Main written Examination will be English and Hindi.

(4) The relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be declared qualified for appearing in the Main Examination. The candidates obtaining equal marks as obtained by the last qualified candidates shall also be declared as qualified, though, in consequence the number of candidates declared as qualified may exceed the parameter of 10 times the number of Notified Vacancies. The same procedure will be adopted for Viva-voce in the Main Examination while declaring the candidates qualified on the basis of merit possibly three times against the number of vacancies.

(5) The final selection will be on merit on the basis of total marks obtained in the written (Main) Examination and Viva-voce. The decision of the CGPSC with regard to calling the candidates for Viva-voce will be final. The maximum 15 marks are fixed for Viva-voce.

(6) A candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce.

Note :-(a) There shall be a screening test in the Preliminary Examination to shortlist candidates for the Main Examination. The mark sheet for Preliminary Examination will not be issued, nor the marks obtained in that Examination will be added while preparing merit list of the Main Examination.

(b) The candidates remaining absent in the Viva-voce shall be disqualified for the selection.

(7) Examination Centre:-

For Preliminary Exam	For Main Exam
1. Bilaspur	1. Bilaspur
2. Durg-Bhilai	2. Raipur
3. Raipur	

Note:- It is not necessary that the Examination centre opted by the candidates will be allotted to them. Looking to the capacity and administrative convenience, the CGPSC will allot the Examination centre even other than mentioned or may delete any examination centre given in the list. The candidates shall have to appear in Examination at the allotted centre.

Appendix - 'B'

(a) Preliminary Examination

(No. of Question - 100, Time - 2:00 Hour, Marks - 100)

The Preliminary Examination shall be of the duration of two hours consisting of 100 objective type questions from the following:-

(1) The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023*
(2) Code of Civil Procedure (3) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*
(4) The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023*
(5) Constitution of India (6) Transfer of Property Act
(7) Contract Act (8) Limitation Act (9) The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011
(10) Court Fees Act (11) Specific Relief Act (12) Registration Act
(13) Chhattisgarh Land Revenue Code (14) The Negotiable Instruments Act, 1881 (15) The Chhattisgarh Excise Act, 1915 (16) General Knowledge of Chhattisgarh

Appendix - 'C'

(b) Main Examination (Written)

(Time - 3:00 Hour, Marks - 100)

For Main Examination, the relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be called for Main Examination (Written) to be conducted which shall consist of:

(i) Framing of issues and writing of Judgement in Civil Cases

(Maximum Marks - 40)

(ii) Framing of charges and writing of Judgement in Criminal Cases

(Maximum Marks - 40)

(iii) Translation:-

(1) English to Hindi-

क्रमशः

(Maximum 10 marks)

(2) Hindi to English-

(Maximum 10 marks)

(c) Viva-Voce:-

Relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Main Examination in the ratio of 1:3 having regard to the number of vacancies, shall be called for viva-voce to be conducted. **The maximum marks for Viva-voce would be 15.**

(i) A candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce.

Appendix – 'D'

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैः- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टरर्ड अभ्ययर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यभर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टरर्ड अभ्यकर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चकर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टकर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त् होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देशः- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगें जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्कः-

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः- (i) आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

*****

कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Email-Principal.iti.geedam@gmail.com

क्रमांक/औप्रसं/स्था./मे०प्र०भर्ती/2024/2332/ **गीदम/ दिनांक 30.12.2024**

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं.-4, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशो तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश क्रमांक- 248 दिनांक 12/03/2024 के अनुपालन में जिला दन्तेवाड़ा में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024-25 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम जिला- दन्तेवाड़ा छ०ग० 494441 में आवेदन जमा/प्रेषित कर सकते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-

1. पदों की जानकारी:-

क्रमांक	व्यवसाय/विषय का नाम	औप्रसं गीदम	कुल
1	2	3	4
01	स्टेनोग्राफी (हिन्दी)	01	01
कुल योग			**01**

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र	व्यवसाय का नाम	संस्था का नाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-
1	स्टेनोग्राफी (हिन्दी)	शासकीय औप्रसं गीदम	01	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण । 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल संस्था शीघ्रलेखन (शार्ट-हेण्ड) मुद्रलेखन परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति। (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा।) 3. अधिकतम अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई सीटीआई एन. व्ही.टी.आई आर.व्ही.टी. आई आई. टॉट से उत्तीर्ण हो। 4. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10.000 KEY डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा)।

3.अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

(क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई. ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी. आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटीआई (परीक्षा) की तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई. डिप्लोमा/डिग्री /) परीक्षा की प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(ख) सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

(ग) आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/उपाधी/पत्रोपाधी आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति मे जिस प्रमाण पत्र अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार कि जाएगी। औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला-कत्तेवाड़ा (छ.ग.)

नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
4. प्रचतिल सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एकवर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री) प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेंगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
5. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
6. शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है. तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
9. पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
10. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालीस रूपये) की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम **15,000/- रूपये (पन्द्रह हजार रूपये)** मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्यदिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
11. मेहमान प्रवक्ताओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही गानदेय भुगतान किया जावेगा।
12. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होगें। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं है तो अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर / समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 15.01.2025 को सायं 5:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम जिला-दन्तेवाड़ा छ०ग० 494441 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।
16. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में

क्रमशः

उम्मीद्वारों को सूचना नहीं दी जायेगी।

18. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन सूचीप्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीद्वार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।

19. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जायेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

20. आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीयशिक्षुता प्रमाण-पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण-पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।

उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर कैसडब्ल्यू०पी०एस० 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
गीदम जिला-वन्तेवाड़ा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित संस्था का नाम
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)
आवेदित पद एवं व्यवसाय / विषय का नाम

स्वप्रमाणित फोटो

प्रति

प्राचार्य शासकीग औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्था, गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

विषयः- स्टनोग्राफी (हिन्दी) हेतु आवेदन पत्र ।
महोदय,

स्टनोग्राफी (हिन्दी) हेतु निम्नांकित विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत है :-

1. आवेदक का नाम :------------------------
2. पिता/पति का नाम :------------------------
3. माता का नाम :------------------------
4. जाति---------------------------वर्ग------------------------
5. जन्मतिथि (अंको में) :------------------------
(शब्दों में) :------------------------
6. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :------------------------
:------------------------
:------------------------
:------------------------
:------------------------
7. दूरभाष / मोबाईल नंबर :------------------------
8. स्थायी निवास का पूर्ण पता :------------------------
9 सी टी आई. ए.टी. आई./ एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई/आई. टॉट उत्तीर्ण (हाँ/नहीं) :------------------------
10. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता विवरण :-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/ विश्वविद्यालय / आई.टी.आई	विषय/ व्यवसाय	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत

टीप :-
1) प्रत्येक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावें।
2) योग्यता से संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों को स्वयं द्वारा सत्यापित सलंग्न करें।

11. **संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची :-**
1.----------------------------------
2.----------------------------------
3.--------------------------------
4-----------------------------------
5-------------------------------------
6--------------------------------------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

//शपथ-पत्र//

उक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो कि पूर्णतः सत्य है एवं मैं सहमत हूँ कि :-

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ०ग० रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्र सही है एवं सत्य है, यदि जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र गलत पाये जाते है, तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा करूंगी तथा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकता रहने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने पर रहेगी, जिस हेतु मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊंगा जाऊंगी। दूसरे संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान--------------
दिनांक-------------

(आवेदक के हस्ताक्षर)
पूरा नाम---------------
पत्र व्यवहार का पता ---------------

मोबाईल नम्बर ---------------

आर.ओ.221/जी-242504976.4

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.)

(आदिवासी विकास शाखा)

phone fax no.- 07864-284666, email actwd.cgsukma@gmail.com

क्रमांक/आ.वि./एकलव्य/2024-25/2789 सुकमा, दिनांक 01/01/2025

// संशोधित विज्ञापन//

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/आ.वि./एकलव्य/2024-25/2692 सुकमा दिनांक 26.12. 2024 द्वारा सुकमा जिले में आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा, कोन्टा एवं छिन्दगढ़ हेतु जारी " अतिथि शिक्षकों " की भर्ती हेतु विज्ञप्ति के स्थान पर संशोधित कर " संविदा शिक्षकों" की भर्ती हेतु विज्ञप्ति पढ़ा जावे। तथा विज्ञप्ति की शर्तें, नियम, योग्यताएं, आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.01.2025 पूर्ववत रहेंगी।

जिन-जिन स्थानों पर अतिथि शिक्षक अंकित हो गया है उसे अतिथि शिक्षक के स्थान पर संविदा शिक्षक पढ़ा जावे। जिन आवेदकों द्वारा इस कार्यालय में अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है उसे तत्काल प्रभाव से संविदा शिक्षक हेतु आवेदन मान्य किया जावेगा। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला सुकमा का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.01.2025
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त सह सदस्य
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय
एवं शैक्षणिक संस्थान समिति आदिवासी विकास
जिला-सुकमा, (छ.ग.)

आर.ओ.224/जी-242505019.5

कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा (छ.ग.) (आदिवासी विकास शाखा)

phone fax no.- 07864-284666, email actwd.cgsukma@gmail.com

क्रमांक/आ.वि./एकलव्य/2024-25/2692 सुकमा, दिनांक 26/12/2024

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव, छ.ग. राज्य स्तरीय आदिग जात्ति कल्याण, आवासीय एवं आश्रग शैक्षणिक संस्थान समिति छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/Emrs/387-11/2024-25/8663 नवा रायपुर, दिनाक 18.11.2024 द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए एवं रिक्तियां उपलब्ध होने पर शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा कोन्टा/छिन्दगढ़ में अतिथि शिक्षक के लिए ऑफलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2025 तक आमंत्रित किये जाते है। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। आवेदन प्रपत्र जिले के वेबसाइट Sukma.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.01.2025

क्र.	विद्यालय का नाम	पद/विषय	संख्या	वांछनीय शैक्षणिक योग्यता
1	एकलव्य विद्यालय सुकमा	PGT PHYSICS	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री। 3. अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा का ज्ञान।
2	एकलव्य विद्यालय सुकमा/कोन्टा	PGT CHEMISTRY	02	
3	एकलव्य विद्यालय सुकमा	PGT BIOLOGY	01	
4	एकलव्य विद्यालय सुकमा	PGT ENGLISH	01	
5	एकलव्य विद्यालय सुकमा/कोन्टा	PGT MATHS	02	
6	एकलव्य विद्यालय सुकमा	PGT ECONOMICS	01	
7	एकलव्य विद्यालय कोन्टा	PGT COMPUTER SCIENCE	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से M.Sc (Computer Science/IT)/ MCA अथवा M.E./M.Tech (Computer Science/IT) 2. अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा का ज्ञान।
8	एकलव्य विद्यालय सुकमा/कोन्टा/छिन्दगढ़	COUNSELLOR (FEMALE)	03	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री मनोविज्ञान/ चिकित्सीय मनोविज्ञान। 2. अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा का ज्ञान।
		योग :-	12	
9	एकलव्य विद्यालय सुकमा/कोन्टा/छिन्दगढ़	TGT SOCIAL SCIENCE	03	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक। 2. राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET Paper-II) या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Paper-II) में पात्रता। 3. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री। 4. अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा का ज्ञान।
10	एकलव्य विद्यालय कोन्टा	TGT MATHS	01	
11	एकलव्य विद्यालय सुकमा/कोन्टा/छिन्दगढ़	STAFF NURSE	03	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. नर्सिंग में स्नातक परीक्षा 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण। 2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिलिंग अथवा किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से नर्स की उपाधि का पंजीयन अनिवार्य। 3. अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा का ज्ञान।
12	एकलव्य विद्यालय सुकमा/कोन्टा/छिन्दगढ़	ELECTRICIAN	03	कक्षा 10वीं उत्तीर्ण तथा आई.टी.आई/संबंधित विषय में पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा अथवा वायरमेन की उपाधि धारक हो।
13	एकलव्य विद्यालय कोन्टा	PET MALE (व्यायाम शिक्षक)	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारिरीक शिक्षा विषय की स्नातक योग्यता न्यूनतम 50 प्रतिशत हो। 2. अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा का ज्ञान।
		योग :-	11	

फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक

पीजीटी और टीजीटी के लिए 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ग और अधिकतम आयु 60 वर्ष है।

सेवानिवृत्त शिक्षक

(अ) सेवा निवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष (01 जनवरी 2025 की स्थिति में होगी। बशर्ते वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

नियुक्ति के संबंध में :-

1. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पर लिया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्त छुट्टी रिक्त के मामले में तैनात किया जाएगा।
2. कार्य पर लिए जाने वाले अतिथि शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जायेगा जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन चालू शैक्षणिक सत्र तक कार्य करने एवं कार्य दायित्वों का उल्लेख होगा। अनुबंध एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि (मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबी छुट्टी) तक या नियमित पदधारी के स्पष्ट रिक्त के मामले में शामिल होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
3. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे।
4. एक वर्ष में 08 आकस्मिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी।
5. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन होने के उपरांत नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे। इसके लिए अतिथि शिक्षक हेतु नियुक्त पद पर कार्य भार ग्रहण करने के पूर्व तदाशय का वचन पत्र साथ में भरकर संबंधित विद्यालय में जमा करना होगा।
6. यदि कोई अभ्यर्थी दो विभिन्न पदों के लिए योग्यता धारित रखता हो तो उसे दोनों पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
7. NESTS द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने या सत्र 2024-25 समाप्ति पर अतिथि शिक्षकों सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
8. किसी भी परिस्थिति में विवाद के स्थिति में कलेक्टर महोदय जिला सुकमा द्वारा निर्णय सर्वमान्य होगा।

मानदेय :-

1. पीजीटी रु 320 प्रति कालांश के मान से अधिकतम रु 45,000 प्रतिमाह।
2. टीजीटी रु 300 प्रति कालांश के मान से अधिकतम रु 42,000 प्रतिमाह ।
3. काउंसलर/व्यायाम शिक्षक एवं स्टाफ नर्स रु 25,000 अधिकतम प्रतिमाह अथवा 1000 रू प्रतिदिन के मान से।
4. इलेक्ट्रीशियन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर।
5. विद्यालय के आवासीय होने के कारण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए Remidial classes तथा Supervised studies लगायी जाती है, जिसके लिए अतिथि शिक्षकों को अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया :-

1. जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योगयता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षको का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़ कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जायेगा जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपयोग में लाया जायेगा।
2. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु सुकमा/कोन्टा/छिन्दगढ़ तीनों स्थानों में विज्ञप्ति में रिक्त पद हो तो प्राथमिकता क्रम से एकलव्य विद्यालय का चयन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा Walk in Interview साक्षात्कार के समय समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. आवेदकों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार दो दिनों में भी पूरा किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया:-

1. विज्ञापन के पदो पर आवेदन केवल ऑफलाईन स्वीकार किया जावेगा, जिला के वेबसाइट Sukma.gov.in पर उपलब्ध है।
2. भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व प्रमाणित होना चाहिए।
3. निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवसीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक/इलेक्ट्रीशियन/स्टॉफ नर्स भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2024-25 लिखा जाना अनिवार्य होगा।

सहायक आयुक्त सह सदस्य
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय
एवं शैक्षणिक संस्थान समिति आदिवासी
विकास, जिला-सुकमा, (छ.ग.)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला-सुकमा

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

आवेदित पद का नाम-------------विषय--------माध्यम---------

हाल ही में खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं से सत्यापित कर चस्पा करें।

प्रति,

सहायक आयुक्त सह सदस्य
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं
शैक्षणिक संस्थान समिति आदिवासी विकास,
जिला-सुकमा, (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :------------------------
   अंग्रेजी के केपिटल लेटर में :------------------------
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)
   अंग्रेजी के केपिटल लेटर में :------------------------
3. जन्मतिथि अंको में - शब्दों में :------------------------
4. लिंग पुरूष/महिला/अन्य :------------------------

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

5. विवाहित/अविवाहित
6. आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में :----वर्ष-----माह--------दिन
7. छत्तीसगढ़ के मूल निवास का विवरण :- जिला-----तहसील-----ग्राम
(सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र संलग्न करें)
8. अनु.ज.जा./अनु.जा./अ.पि.वर्ग/समान्य जाति/वर्ग :--------------------------
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की स्थिति में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र संलग्न करें)
9. शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता का विवरण, जो कि अनिवार्य अर्हता में चाहा गया-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्याल का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	अध्ययन का माध्यम
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

छत्तीसगढ़ राज्य शासन में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा अनुदान प्राप्त, निगम मंडल, शैक्षणिक कार्य के अनुभव का विवरण :-

क्र.	नियोक्ता विभाग/संगठन का नाम	संस्था/प्रतिष्ठान का नाम जहां कार्य किया	पदनाम	पद की प्रकृति (अस्थायी/स्थायी/संविदा/प्रतिनियुक्ति/अन्य	मासिक वेतन रू. में	कार्य ग्रहण अवधि संहित	कुल अनुभव माह में
1	2	3	4	5	6	7	8

11. नियोक्ता संबंधी जानकारी :-

नियोक्ता विभाग/संगठन का नाम	संस्था/प्रतिष्ठान का नाम जहां कार्य किया	दूरभाष क्रमांक/मोबाईल	ई-मेल	अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5

12. पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल/व्हाटसअप नम्बर---------------
ई-मेल आईडी---------------
जिला का नाम---------------
पिन कोड---------------
13. आवेदित पद हेतु विद्यालय का नाम :--------------------------------
यदि आवेदित पद हेतु एक से अधिक 1.-----------------------------
विद्यालयों हेतु आवेदन किया जा रहा 2.-----------------------------
हो तो चयन होने पर प्राथमिकता का 3.-----------------------------
क्रम लिखें।
14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -
1. शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत 10वीं/स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकसूची की छायाप्रति।
2. व्यवसायिक एवं अन्य योग्यताओं के परीक्षाओं के अंकसूची की छायाप्रति ।
3. अनुभव प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
4. मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
6. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त आवेदन पत्र में बिंदु क्रमांक 1 से लेकर 13 तक में दी गई संपूर्ण जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे विरूद्ध वैंधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैंने यह आवेदन पत्र संपूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं समझ कर भरा है।

दिनांक :-
स्थान :- **आवेदक का हस्ताक्षर**

आर.ओ.223/जी-242504933.4

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर
जिला रायपुर (छ०ग०)

2263708, 2262558 Fax-2262558
Email Id-pmscstobc@gmail.com
क्रमांक /ऑ.ला.पो.मै.छा./183/2024-25/10569 नवा रायपुर, दिनांक 23/12/2024

:: सूचना प्रकाशन::
वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि में वृद्धि की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई. टी.आई आदि के प्राचार्य / संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, विद्यारि जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन / प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जा रही है :-

निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

क्र	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन / नवीनीकरण)	दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.01.2025
2	2 Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 15.02.2025 तक
3	3 Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 28.02.2025 तक

नोट :-1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं **आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि करना** सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से **OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन** करते समय की जानी है। OTR की प्रविष्टि के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जावेगी।
3. वर्ष 2024-25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार Geo-Tagging किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा Geo-Tagging नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा नवा रायपुर, छ०ग०

आर.ओ.222/जी-242504876.5

कार्यालय महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
विज्ञान भवन, विधान सभा रोड, सड्डू रायपुर (छ.ग) 492 014

फोनः 0771-2972943 ई-मेलः dgccost@gmail.com
Advt. No. 1203/CCOST/2025 **रायपुर, दिनांक 02/01/2025**

विज्ञापन परियोजना अमलों हेतु वॉक-इन इंटरव्यू

परिषद द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अस्थायी आधार पर परियोजना अमलों हेतु आवेदन विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आवेदकों को आमंत्रित कर रही है। विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट www.ccost.cg.gov.in पर है।

वैज्ञानिक ई-1 (चयन प्रकोष्ठ)
छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
रायपुर (छ.ग)

आर.ओ.225/संवाद-42645.2

2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर नई चुनौतियों का साल

नवीन रामगुलाम होंगे मॉरीशस के पीएम

▪ **14 Nov 2024।** मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने अलायंस डू चेंजमेंट की भारी जीत के बाद नवीन रामगुलाम को चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह 1995 से 2000 तक और फिर 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं।

वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए लुओंग कुओंग

▪ **24 Oct 2024।** लुओंग कुओंग को वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली के 8वें मौजूदा सत्र में श्री कुओंग को वर्ष 2026 तक राष्ट्रपति चुना गया है। 440 प्रतिनिधियों ने श्री कुओंग के पक्ष में मतदान किया। श्री कुओंग पूर्व राष्ट्ररपति, टू लैम का स्थान लेंगे।

प्राबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

▪ **20 Oct 2024।** प्राबोवो सुबियांतो ने विश्व के तीसरे सबसे बडे.लोकतंत्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। 73 वर्षीय श्री प्राबोवो, विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के औपचारिक रूप से आठवें राष्ट्रापति बने हैं।

मेक्सिको में बनी पहली महिला राष्ट्रपति

▪ **3 Oct 2024 ।** सुश्री शीनबाम निवर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर का स्थान ली। वे मेक्सिको की 66वीं राष्ट्रपति और पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। इस देश के 200 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति है।

श्रीलंका में पहली बार वामपंथी सरकार

▪ **23 Sep 2024।** श्रीलंका नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति चुनाव जीते। इसके साथ ही श्रीलंका में पहली बार वामपंथी सरकार बनी।

डॉ. हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री

▪ **25 Sept 2024।** नेशनल पीपुल्स पावर के सांसद डॉ. हरिनी अमरसूर्या को श्रीलंका की 16 वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डॉ. अमरसूर्या, सिरिमावो भंडारनायके और चंद्रिका कुमारतुंगा के बाद श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी।

मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री

▪ **05 Sept 2024।** फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने मिशेल बार्नियर को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। श्री बार्नियर यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के हटने के प्रक्रिया के प्रमुख वार्ताकार और दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं।

शिनावात्रा बनीं थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री

▪ **17 Aug 2024।** पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी 37 वर्षीय पैटोंगटार्न शिनावात्रा थाइलैंड की 31वीं प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। वे सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी। वे देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री रही जो श्रेथा थाविसिन का स्थान ली।

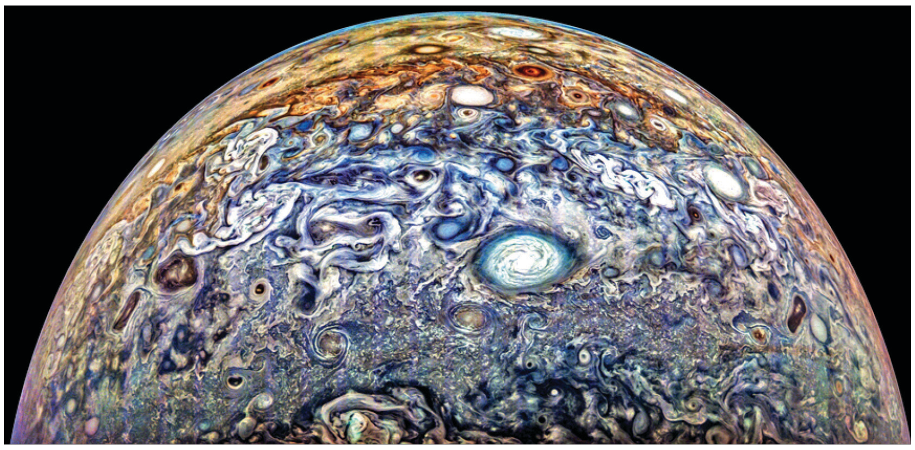

गुरु की गहराई की पहली तस्वीर

25 नवंबर को नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे पुराने ग्रह बृहस्पति की आश्चर्यजनक नई तस्वीरें जारी की। नासा का सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान अगस्त 2011 में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च हुआ और जुलाई 2016 में बृहस्पति के समीप पहुंचा था।

नासा की बड़ी खोज, मंगल ग्रह की सतह के नीचे मिला पानी का भंडार

13 Aug 2024

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने मंगल ग्रह (Mars planet) की सतह के नीचे पानी का अकूत भंडार खोज लिया है। ये इतना है कि इससे एक सागर भर जाए। सतह के कई किलोमीटर नीचे पत्थरों में दरारें हैं। इन दरारों के बीच इतना तरल पानी है कि उन्हें एकत्र करने पर एक सागर बन जाए। नासा ने यह गणना इनसाइट लैंडर से मिले आंकड़ों से की है। मंगल ग्रह की सतह से 11.5 से 20 किलोमीटर की गहराई में भारी मात्रा में पानी मौजूद है, जिसमें छोटे सूक्ष्मजीवों के होने की भी संभावना है। सैन डिएगो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशैनोग्राफी के प्लैनेटरी साइंटिस्ट वाशन राइट और उनकी टीम ने यह अध्ययन किया है।

चीन के वैज्ञानिकों ने पहली बार सुलझाया चंद्रमा का रहस्य

16 Nov 2024

चीन के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से के रहस्य को सुलझाने का कारनामा कर दिखाया है। पहली बार चीनी वैज्ञानिक और उनके अमेरिकी सहयोगी चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर ज्वालामुखी विस्फोटों की सटीक उम्र मापने में सक्षम हुए हैं। पहले इसके अंदाजा केवल रिमोट सेंसिंग के आकलनों के माध्यम से किया जाता था। इसी साल जून में चीन का चांग 'ई-6 मून मिशन चंद्रमा से चट्टान का सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आया था। इस सैंपल का अध्ययन करने के लिए बीजिंग और ग्वांगझोऊ में स्थित चीनी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में दो शोध टीमों का गठन किया गया।

पृथ्वी से 17 गुना बड़ा महासागर वाला ग्रह मिला

12 Jul 2024

वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी से 17 गुना बढ़ा और महासागर वाला है। फ्रांस के सीएनआरएस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह की खोज की है। इसे एलएचएस 1140 बी नाम दिया गया है। यह ग्रह पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष (लगभग 450 ट्रिलियन किलोमीटर) की दूरी पर है।

दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड बनीं

9 Jul 2024

मोरक्को की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जनरेटेड मॉडल केंजा लेली दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड चुनी गई हैं। इस प्रतियोगिता में फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया तीसरे स्थान पर रहीं, वहीं भारत की एआई मॉडल जारा शतावरी प्रतियोगिता में शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में रहीं। केंजा लेली एक एआई लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने 1500 से अधिक एआई सुंदरियों को हराकर 20 हजार डॉलर का पुरस्कार जीता। एआई मॉडल केंजा को फीनिक्स एआई कंपनी की सीईओ मरियम बेस्सा ने बनाया है। मिस एआई वर्ल्ड दुनिया की पहली एआई ब्यूटी प्रतियोगिता है।

दुनिया का सबसे प्राचीन सौर कैलेंडर

10 Aug 2024

ब्रिटेन के पुरातत्त्वविदों ने तुर्की के अनातोलिया के पहाड़ों में गोबेकली टेपे में करीब 12,000 साल पुराने स्मारकों के स्तंभ पर तारीखों के चिह्नों की खोज की है। उनका दावा है कि यह टाइमकीपिंग सिस्टम दुनिया का सबसे प्राचीन सौर कैलेंडर है। इसके अध्ययन से पता चला कि 150 ईसा पूर्व ग्रीस में लोग 10,000 साल पहले की तारीखों को सटीक रूप से रिकॉर्ड कर रहे थे। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों को चिह्नों के विश्लेषण के दौरान साइट के एक खंभे पर उकेरे हुए 'वी' के 365 निशान मिले। हर निशान एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है।

पॉल कागामे ने ली रवांडा के राष्ट्रपति पद की शपथ

▪ **11 Aug 2024।** रवांडा के मुख्य न्यायधीश फॉस्टिरन नेजिलयाओ ने पॉल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रंपति चुनाव में आठ उम्मीदवारों में से केवल दो को ही भाग लेने की अनुमति दी गई।

निकोलस ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता

▪ **29 Jul 2024।** वेनेजुएला में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने जीत दर्ज कर तीसरी बार राष्ट्रपति बने। उन्होने चुनाव में 51 % वोट हासिल किए हैं,उनके मुख्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज को 44 % मत मिले हैं।

ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री

▪ **15 Jul 2024।** रामचंद्र पौडेल ने के पी शर्मा ओली को नयी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चौथी बार देश का ओली नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने।

कीर स्टार्मर ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री

▪ **05 Jul 2024।** लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर (61) ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी ने 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 410 सीटें जीतकर 14 साल बाद वापसी की। निवर्तमान पीएम ऋषि सुनक खुद तो जीत गए लेकिन उनकी पार्टी 121 सीटों पर सिमट गई।

ईरानी राष्ट्रपति रईसी की हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत

▪ **19 मई 2024** ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन की मौत हेलिकॉप्टर क्रैश में हुई। मसूद पेजेशकियान 28 जुलाई को ईरान के नौवें राष्ट्रपति बने।

बांग्लादेश में हसीना का तख्तापलट

▪ **5 अगस्त 2024** सेना, कट्टरपंथी संगठनों और आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन से 5 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट कर दिया गया। बांग्लादेश में हसीना 15 साल से सत्ता पर काबिज थीं हसीना ने देश छोड़ दिया।

लेबनान और सीरिया में पेजर-वॉकीटॉकी धमाके

▪ **17 सितंबर 2024** लेबनान व सीरिया में लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ों में उसके सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी-टॉकी और पेजर में विस्फोट होने से कम से कम 32 लोग मारे गए और 3,250 से अधिक घायल हो गए

सीरियाः असद रूस भागे सत्ता पर विद्रोही काबिज

▪ **8 दिसंबर 2024** सीरिया में असद सरकार का तख्तापलट हो गया। 24 साल से सत्ता में काबिज राष्ट्रपति बशर अल-असद को सीरिया छोड़ना पड़ा। बशर अल-असद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रूस चले गए हैं

लंदन के प्रतिष्ठित प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता

16 Jun 2024

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को लंदन के प्रतिष्ठित प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग ने वर्ष 2024 के लिए रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है। आरबीआई को यह पुरस्कार अपनी जोखिम संस्कृति में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन का पुरस्कार मिला है। इससे भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की सुरक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि होती है।

कृष्ण मेनन को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित सीबीई पुरस्कार

18 Jun 2024

ब्रिटेन में कैंब्रिज विश्वविद्यालय में एनेस्थीसिया के भारतीय मूल के प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन को प्रतिशित 'कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' (सीबीई) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेनन को यह सम्मान न्यूरोक्रिटिकल सेवाओं के लिए दिया गया है। मेनन ने कैंब्रिज में एडेनलुक के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा शिक्षण अस्पताल में न्यूरोसाइंसेज क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की थी।

दो भारतीय लेखकों की किताबें एशियन प्राइज फॉर फिक्शन में

1 Jul 2024

दो भारतीय और एक भारतीय मूल के लेखक की किताबें एशियन प्राइज फॉर फिक्शन में शार्टलिस्ट की गई हैं। ये किताबें अरेफा तहसीन की 'विच इन द पीपल ट्री', मृणालिनी हरचंद्राय की 'रेस्क्यूइंग ए रिवर ब्रीज' और नेपाली-भारतीय लेखिका स्मृति रवींद्र की 'वुमन हू क्लाइंब्ड ट्रीज' हैं। एशियन रिव्यू के अनुसार, सात महीने तक चली एक व्यापक प्रक्रिया के बाद 10 पुस्तकों में से छह पुस्तकों को चुना गया।

AI के गॉडफादर और अमेरिकी वैज्ञानिक को फिजिक्स का नोबेल

8 Oct 2024

फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जैफ्री ई. हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे. होपफील्ड को मिला है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए ये सम्मान दिया गया है जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। जैफ्री को जिस मशीन लर्निंग के लिए नोबेल मिला है, उन्होंने उसी के विकसित रूप AI को मानवता के लिए खतरा बताया था।

ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने बुकर पुरस्कार जीता

12 Nov 2024

ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास 'ऑर्बिटल' के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। यह 64,000 अमेरिकी डॉलर का साहित्य पुरस्कार जीतने वाला अंतरिक्ष पर आधारित पहला उपन्यास बन गया है। 'ऑर्बिटल' अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर छह अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के जीवन पर आधारित है, जो महाद्वीपों के पीछे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं।

गर्व का वो पल जब करोड़ों दिलों की मुराद पूरी हुई

पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने 117 एथलीटों का दल भेजा और 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले इस खेल महाकुंभ में दुनिया भर से कुल 10,500 एथलीटों ने भाग लिया। भारत ने इस ओलंपिक में 16 खेलों - तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस - में कुल 69 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। भारत ने कुल छह पदक जीते, जिनमें एक रजत और पांच कांस्य शामिल हैं। इसके साथ ही, भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 पदक जीते हैं।

पेरिस 2024 में भारत का प्रदर्शन

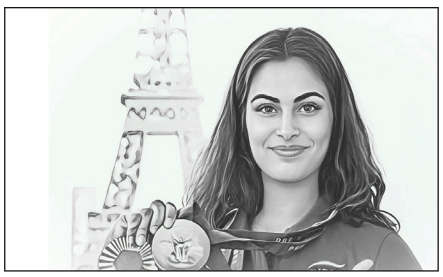

- **मनु भाकर** ने शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक भी जीता, जिससे वह एक ही ओलंपिक संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं।
- **स्वप्निल कुसाले** ने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर ओलंपिक के किसी एक संस्करण में किसी खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि का रिकॉर्ड बनाया।
- भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की।
- **नीरज चोपड़ा** ने भाला फेंक में रजत पदक जीतकर व्यक्तिगत ओलंपियन के रूप में अपनी सफलता को बढ़ाया।
- **अमन सहरावत** ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।

भारत ने पेरिस 2024 में कुल छह संभावित पदकों से चूकने का भी सामना किया, जिसमें लक्ष्य सेन, मीराबाई चानू और मनु भाकर शामिल थे, जिन्होंने मामूली अंतर से पदक जीतने का मौका गंवा दिया। इसी क्रम में विनेश फोगाट 100 ग्राम अधिक वज़न होने के कारण फाइनल में अयोग्य ठहरा दिया गया।

पैरालिंपिक में भारत ने पहली बार जीते 29 मेडल

पैरालिंपिक में भारत ने अपना अभियान कुल 29 मेडल (7 गोल्ड, 9 रजत व 13 कांस्य) के साथ समाप्त किया। यह पैरालिंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। देश को पिछली बार से 10 मेडल ज्यादा मिले। भारत ने पहली बार टॉप-20 देशों में फिनिश किया। पैरालिंपिक में हमारे 84 एथलीट 29 पदक लाए।

लम्हा जब देश झूम उठा... विश्व विजय

29 जून। करोड़ों भारतीयों को खुशी देने वाली यह तस्वीर टी-20 वर्ल्डकप में भारत की जीत के बाद की है। बारबाडोस में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर 17 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

क्रिकेट की जीत-हार, जो इतिहास में दर्ज हुई

17 साल बाद भारत टी-20 चैम्पियन बना, लेकिन टेस्ट सीरीज में 12 साल बाद घर में हार मिली भारत ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता। दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराकर जीत हासिल की। मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा कर चौंका दिया। यह मैच भारत के टी-20 कोच और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का भी आखिरी मैच था। टीम इंडिया बिना कोई मैच हारे चैम्पियन बनने वाली पहली टीम बनी।

बांग्लादेश इंग्लैंड से जीते, न्यूजीलैंड से हारे

इस साल भारत ने कुल पांच टेस्ट सीरीज खेलीं। इसमें से दो में जीत हासिल की। बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की, जबकि साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज ड्रॉ रही। अक्टूबर-नवंबर में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई। टीम ने 12 साल के बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज गंवाई। भारत ने घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज 2012 में हारी थी इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जारी है। दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है।

रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट से कहा अलविदा

18 Dec 2024। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया। अश्विन ने गाबा टेस्ट के बाद 18 दिसंबर को रिटायरमेंट का ऐलान किया था। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन ने भारत के लिए कुल 106 मैच खेले हैं और 537 विकेट चटकाए हैं।

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

4 Nov 2024। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। रिद्धिमान साहा ने वर्ष 2010 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने 40 टेस्ट और नौ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद नजीर का निधन

21 Nov 2024। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और अंपायर मोहम्मद नजीर जूनियर का लंबी बीमारी के बाद गृहनगर लाहौर में निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। नजीर पिछले कुछ महीनों से बिस्तर पर थे। उनके बेटे नोमान नजीर ने इसकी पुष्टी की।

टेबल टेनिस... एशियाई चैम्पियनशिप में भारतीय महिला टीम को पहला पदक

9 Oct 2024। भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में देश का पहला पदक दिलाया। कजाखस्तान में हुए टूर्नामेंट में मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, अयहिका मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी और दीया चिताले की टीम ने सेमीफाइनल में शानदार प्रयास के बाद कांस्य पदक जीता। 1972 से जारी इस टूर्नामेंट में यह भारत का पहला पदक है।

शतरंज... प्रागनानंदा ने वर्ल्ड नंबर वन को हराया, गुकेश बने वर्ल्ड चैम्पियन

12 Dec 2024। जून में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रागनानंदा ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर-1 मैग्नस कार्लसन और फिर बर्ल्ड नंबर-2 पैबियानी कारूआना को हराया। इधर साल के अंत में डी. मुकेश चेस के नए बादशाह बन गए। गुकेश 12 दिसंबर को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र 18 साल 14 दिन की उम्र में के विश्व चैम्पियन बने।

टेनिस... 43 वर्ष के बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

27 Jan 2024। रोहन चोपन्ना ने इस साल 43 साल 10 महीने 25 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष युगल टूर्नामेंट जीता। बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। नडाल का संन्यास - टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने स्पेन के मैलागा में डेविस कप फाइनल के बाद संन्नास की घोषणा की।

भारत ने सुनील छेत्री को दी विदाई

6 Jun 2024। कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 का क्वालिफायर मैच ड्रॉ (0-0) खेलकर भारत ने अपने करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री को विदाई दी. भारतीय फुटबॉल की पहचान रहे 39 साल के छेत्री ने इस मैच के साथ ही 19 साल तक चले अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को भी अलविदा कहा. उन्होंने भारत की तरफ से 151 मैचों में 94 गोल किए. वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक की गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो (128) ईरान के दिग्गज अली देई (108) और अर्जेंटीना के करिश्माई खिलाड़ी लियोनेल मेसी (106) के बाद चौथे स्थान पर हैं.

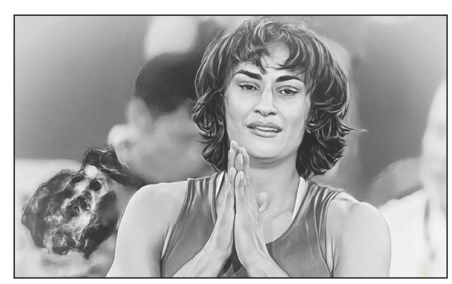

पहलवान विनेश फोगाट ने की संन्यास की घोषणा

8 Aug 2024। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित किये जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तीन ओलंपिक में भारत के लिए हिस्सा ले चुकीं विनेश फोगाट ने संन्यास का एलान करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि "मां कुश्ती मेरे से जीत गई मैं हार गई माफ करना आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके और इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी।..."

- **मिथुन चक्रवर्ती**
दादा साहब फाल्के सम्मान

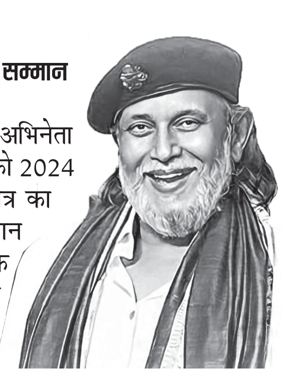

8. अक्टूबर को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2024 का सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया।

- **क्रिस मार्टिन •** भारत आने के पहले दीवानगी
ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले के गायक क्रिस जनवरी 2025 में भारत में शो करेंगे। उनके शो के टिकट के लिए 1.3 करोड़ लोगों ने कोशिश की। इस बीच उनके रिटायर होने की खबरें भी आने लगीं।

- **श्रद्धा कपूर •** हिंदी की सबसे सफल फिल्म दी
बॉलीवुड इंडस्ट्री को साल की सबसे बड़ी फिल्म श्रद्धा कपूर ने दी। उनकी फिल्म स्त्री-2 ने 627 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 874 करोड़ से ज्यादा रहा।

- **टेलर स्विफ्ट** सबसे अमीर महिला गायिका
एरास टूर की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद दुनिया की सबसे अमीर महिला संगीतकार बन गईं। संपत्ति 1.6 अरब डॉलर है। एरास टूर में उन्होंने दो साल में करीब 150 शो किए।

- **दिलजीत दोसांझ** 'दिल लुमिनाटी' चर्चा में रहा
अक्टूबर-नवबर में अपने 'दिल-लुमिनाटी' टूर को लेकर चर्चा में रहे। देश के 12 बड़े शहरों में आयोजित उनके शो में महंगे टिकट के बावजूद हजारों लोग पहुंचे।

- **शंकर महादेवन** ग्रैमी में अवॉर्ड जीता
इस साल संगीत में सौमी अवॉर्ड जीता है। उनके बैंड शक्ति के एलबम 'दिस मोमेंट' को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एलबम का खिताब मिला। ग्रेमी अवॉर्ड संगीत में दिए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवॉर्ड है।

- **पायल कपाड़िया** कान समारोह में जीत
निर्माता पायल कपाड़िया की फिल्म 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' को कान फिल्म समारोह में ज्यूरी अवार्ड मिला है।

राउंडअप 2024 रिसर्च टीम : संदीप सिन्हा, धनेश कुमार दिवाकर

विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री,छत्तीसगढ़
युवाओं के लिए नौकरियों के खुले द्वार
विभिन्न शासकीय भर्तियों में आयु सीमा में मिली 5 वर्ष की छूट
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें।
हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो